न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — श्री विश्वामित्र मीणा आ.ए.एस

वाद संख्या 25/2018

श्रीमती प्रभाती देवी बेवा स्व. श्री महादेव, उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति ब्राहम्ण निवासी– ग्राम भावणी तहसील, जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीनी

बनाम

1 छीतरमल पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति ब्राहम्ण निवासी– ग्राम भावणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

2 रामधन पुत्र घासीराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी– भावणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान (दौराने वाद अविवाहित लाऔलाद फौत)

3 भौरीलाल पुत्र श्योनाथ, उम्र लगभग 55 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी– ग्राम भावणी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

4 तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– वादीनी की ओर से कृष्ण शर्मा, हनुमान सहाय शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा,

प्रतिवादी संख्या 2 दौराने वाद अविवाहित, लाऔलाद फौत हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/7/2019

वादीनी ने एक वाद बाबत विभाजन, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि ग्राम भावणी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में आराजी खसरा संख्या 403/566 रकबा 4 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन चाह है, खसरा संख्या 403 (हाल खसरा संख्या 301) रकबा 7 बिस्वा किस्म चाही व जाव, खसरा संख्या 476/564 (हाल खसरा संख्या 197) रकबा 9 बिस्वा किस्म चाही व जाव स्थित है, उक्त आराजी में से खसरा संख्या 403/566 रकबा 4 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन चाह में प्रतिवादी संख्या 1 छीतरमल पुत्र श्री रामसहाय शर्मा के स्वर्गीय पिता रामसहाय व प्रतिवादी संख्या 2 रामधन का सामलाती हिस्सा 2/64 था, इसी प्रकार

खसरा संख्या 403 (हाल खसरा सख्या 301) रकबा 7 बिस्वा किस्म चाही व जाव में स्वर्गीय रामसहाय व प्रतिवादी संख्या 2 रामधन पुत्र घासीराम का सामलाती हिस्सा 2/4 था, इसी प्रकार खसरा संख्या 476/564 (हाल खसरा संख्या 197) रकबा 9 बिस्वा किस्म चाही व जाव में प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गीय पिता रामसहाय व प्रतिवादी संख्या 2 का सामालाती हिस्सा 2/4 था उक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसहाय व प्रतिवादी संख्या 2 रामधन ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीनी को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 07–01–2003 के द्वारा विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निस्पादित किये गये, जिनमें से एक विक्रय पत्र खसरा संख्या 403/566, खसरा संख्या 403 (हाल खसरा नम्बर 301) से सम्बन्धित आराजी बाबत है, जिसका पंजीयन दिनांक 12–02–2009 को उपपंजीयक जमवारामगढ के कार्यालय में किया गया तथा खसरा संख्या 476/564 से सम्बन्धि भूमि का विक्रय दिनांक 12–02–2009 को उपपंजीयक कार्यालय जमवारामगढ में किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्णित दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के बारे में भली प्रकार से जानकारी थी। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 छीतरमल के हस्ताक्षर उक्त वर्णित दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर बतौर साक्षी विधमान है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता स्वर्गीय रामसहाय की मृत्यु के बाद उक्त भूमि की नामान्तकरण अपने नाम से जरिये नामन्तकरण संख्या 522 दिनांकित 22–11–2010 खुलवा लिया। अन्त में वादीनी ने उक्त भूमि जो उसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है की स्वामिनी, खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम अंकित करने की प्रार्थना की तथा यह प्रार्थना भी की, कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त सम्पति के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे और सम्पति के किसी भी हिस्से में से वादीनी को बलपूर्वक बेदखल नही करे।

उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2 रामधन पुत्र घासी दौराने वाद अविवाहित रहते हुये लाऔलाद फोत हो गया प्रतिवादी संख्या 3 के सम्बन्ध में उसका नाम हजफ किये जाने के एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25–06–2019 को प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया, वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 छीतरमल के मध्य एक राजीनामा दिनांक 25–06–2019 को प्रस्तुत किया गया, जिसे तस्दीक किया गया तथा इस वाद का निस्तारण राजीनामा दिनांक 25–06–2019 में कथित तथ्यों के अनुरूप किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेशकारी

आदेश

वादीनी का वाद बरूह राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 403/566 रकबा 4 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन चाह है, खसरा संख्या 403 (हाल खसरा संख्या 301) रकबा 7 बिस्वा किस्म चाही व जाव, खसरा संख्या 476/564 (हाल खसरा संख्या 197) रकबा 9 बिस्वा किस्म चाही व जाव स्थित है, हिस्सा 2/4 की स्वामिनी वादीनी को घोषित किया जाता है तथा सम्बन्धित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि डिक्री के अनुरूप वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीनी के हिस्से की उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे और न ही सम्पति पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करे। खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। डिक्री पर्चा पृथकतः मुर्तिब किया जावें।

(विश्वामित्र मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13/2/19 को लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया

(विश्वामित्र मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:44:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: